

16.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी वकील द्वारा वाद पत्र मे वादी व प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई कार्यवाही नहीं चाही जा रही है। प्रकरण 2011 का है आगामी कोई कार्यवाही नहीं होने से स्पष्ट जाहिर हो रहा है। कि वादी पक्ष व प्रतिवादी कोई कार्यवाही नहीं चाहता। वादी व प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़